न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अध्यासीन – मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दावा संख्या
145 / 2024

दायर दिनांक
14.06.2025

निर्णय दिनांक
29-7-25

उनवान

01 सगरू खां पुत्र मोहरसिंह जाति मेव निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा।

– वादी

बनाम

01 राज सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा।

:– असल प्रतिवादी

दावा तकासमा आराजी बम्य हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188 राज.टी.ए 1955 राज्य सरकार राजस्व ग्रुप 10 के परिपत्र दिनांक 30.03.2012

उपस्थिति:–

1. वादी की ओर से श्री खुर्शेद अहमद वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब रिपोर्ट पटवारी।

दावा वादी निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

आराजी खसरा संख्या हाल 837 रकबा 0.4200हे0 में से 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा में स्थित है जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। उक्त आराजी मुखलराज पुत्र बालाराम राजपूत निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढबास की कब्जा काश्त गैर खातेदारी की आराजी थी जिसका बचान अब्दुल सत्तार पुत्र श्री गोण्डा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़–बास को दिनांक 1–6–1992 को किया जाकर चुकती रकम प्राप्त कर इकरारनामा बय तहरीर किया गया था जो असल मौजूद है। उक्त आराजी का क्रेता श्री अब्दुल सतार पुत्र श्री गोण्डा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढ–बास ने दिनांक 21–9–2013 को मिन वादी को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया तथा समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा मौके पर सौंप दिया जो आज दिन तक मेरे पास है अन्य किसी का कोई वाद विवाद नहीं है।

उक्त आराजी गैर खातेदार मुखलराज के नाम से आज दिन तक राजस्व रिकोर्ड में चली आ रही है क्योंकि आराजी गैर खातेदारी है जिसका बयनामा नहीं हो सका और क्रेता अब्दुल सत्तार द्वारा उक्त आराजी बेचान मिन वादी को करके कब्जा मौके पर सौंपा गया था जो आज दिन तक चला आ रहा है। बाद खरीद से ही मिन वादी मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है। कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित होने योग्य है जिसके लिए दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

विवादित आराजी पर मिन वादी दिनांक 21–9–2013 से बतौर खरीददार काश्तकार मौके पर काबिज व दाखिल है व काश्त करता चला आ रहा है इसलिए वादी अवैध हस्तांतरण राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 6–10–2009 को संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30–3–12 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार राजकोष में विवादित आराजी राशि जमा कराने को तैयार है तथा विवादित आराजी के हकूक खातेदारी प्राप्त करने हेतू दावा हाजा दायर किया जा रहा है।

मिन वादी ने भूमिभारी तहसीलदार प्रतिवादी को विवादित आराजी का इंद्राज दुरूस्त करने व वादी को खातेदार घोषित करने व विवादित आराजी की यदि कोई शास्ति राशि हो तो जमा कराने को दिनांक 20-5-24 को कहा तो प्रतिवादी ने इंद्राज दुरूस्ती करने से साफ मना कर दिया तथा आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार किशनगढ-बास के विरूद्ध मुकदमा अर्जेंट प्रकृति का होने के कारण तुरन्त ही दावा दायर करने हेतु दफा 80 (2) जा दी का प्रार्थना पत्र अलहेदा से प्रस्तुत है अत: वाद बिना दो माह का नोटिस दिये दायर करने की आज्ञा प्रदान की जावें यह है कि वाद पत्र हेतू बिनाय दावी व बिनाय मुखासमत दिनॉक 20-5-24 को पैदा हुई है जिससे दावा हाजा मामूलन अन्दर अवधि पेश है।

अत: प्रार्थना है कि हस्ब जेल दादरसी अता फरमाई जावे :-

डिक्री इज्राय बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि विवादित आराजी खसरा संख्या हाल 837 रकबा 0.4200 है0 में से 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा का वादी को खरीददार काबिज काश्तकार है तथा अवैध हस्तांतरण व कब्जे के आधार पर राजस्व रिकोर्ड को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6-9-2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30-3-2012 के अनुसार नियमानुसार राशि जमा कराकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जायें तथा वादी के नाम का अकन राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब में तहसीलदार किशनगढबास से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 है0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास के सम्पूर्ण भाग पर सगरू पुत्र मोहर खां जाति मेव निवासी खानपुर मेवान का कब्जा काश्त है। मौके पर खेत जुता हुआ है। मौके पर कोई वाद विवाद तथा स्थगन आदेश नहीं है।

प्रस्तुत वाद में तनकी यह है कि आया विवादित आराजी हाल जमाबंदी में दर्ज गैरखातेदार की कब्जे काश्त की पट्टेदारी की गैर खातेदारी आराजी रही है और गैरखातेदार का लगातार कब्जा वक्त आवंटन से रहा है? क्या विवादित आराजी का हाल जमाबंदी में दर्ज गैरखातेदारान के पूर्वज द्वारा वादी को बेचान किया गया है तथा वादी का वक्त बेचान से लगातार कब्जा काश्त है और इसी आधार पर आवेदक के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है, जिनकी घोषणा किया जाना आवश्यक है? क्या आवंटित आराजी पर अलोटी के नाम का अमल आज दिनांक तक चला आ रहा है? आया वादी विवादित आराजी पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैरखातेदारान के अंकन को कलमजन करा अपने नाम खातेदारी का अमल कराने के अधिकारी है? आया विवादित आराजी की सरकारी कीमत कर्जा परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के नियम 5 के अनुसार सरकारी कीमत जमा राजकोष कराकर मिन वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्य में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ-पत्र पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 अलीजान पुत्र श्री सरिया जाति मेव निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढबास का शपथ पत्र एवं पीडब्लू-3 अमरूदीन पुत्र श्री मोहरसिंह जाति मेव निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढबास के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। प्रदर्श-1 इकरारनामा दिनांक 01.06.1992, प्रदर्श-2 इकरारनामा दिनांक 21.09.2013, प्रदर्श-3 हाल जमाबंदी संवत् 2073-76, प्रदर्श-4 मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास मय हल्का पटवारी रिपोर्ट, प्रदर्श-5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-6 जमाबंदी संवत् 2013-16, प्रदर्श-7 जमाबंदी संवत् 2069-72, प्रदर्श-8 जमाबंदी संवत् 2012-15,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–9 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2025, प्रदर्श–10 गिरदावरी संवत् 2013–16, प्रदर्श–11 गिरदावरी संवत् 2017–2020 पेश किये गये।

प्रस्तुत वाद में जवाब, तनकी एवं साक्ष्य पेश होने पर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण प्रश्नगत आराजी की खातेदारी जरिये इकरारनामा प्राप्त करना चाहता है। अत वाद में विवादित खसरा नम्बरान की खातेदारी के संबंध में नोटिस सर्वसाधारण/उजदारी नोटिस जारी किया गया। जिसका वादीगण द्वारा पंजाब केसरी समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। आदिनांक प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा उज/ऐतराज पेश नहीं की गई। पत्रावली बास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 इकरारनामा दिनांक 01.06.1982 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 हे0 में से 1/3 हिस्से का बेचान मुलखाराज पुत्र बालाराम जाति राजपूत साकिन खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास द्वारा अब्दुल सत्तार पुत्र श्री भोडा जाति मेव साकिन खानपुर को 40000/–रूपये (चालीस हजार रूपये) प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया है। प्रदर्श–2 इकरारनामा दिनांक 21.09.2013 से साबित होता है कि अब्दुल सत्तार पुत्र भौण्डा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 है. मे से 1/3 हिस्से का बेचान सगरू पुत्र मोहरसिंह जाति मेव निवासी खानपुर मेवान को 117000/–रूपये (एक लाख सत्रह हजार) रूपये प्रतिफल प्राप्त कर बेचना कर दिया। प्रदर्श–3 हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 में आ0ख0सं0 837 रकबा 0.4200 हे0 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास कमलादेवी, कस्तूरी, गीता, चन्दरो, चमेली, लीला पुत्रीयान मुलखराज, दौलतराम, पूर्ण, मुकेश, सुखदेव, सूरतसिंह पुत्रान मुलखराज, रूकमणी पत्नी मुलखराज, प्रत्येक को हिस्सा क्रमशः 1/36 जातियान राजपूत साकिन देह गैर खातेदार एवं रसीदन पत्नी सगरू को हिस्सा 2/3 जाति मेव साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास मय हल्का पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ख0नं0 837 रकबा 0.42 हे0 किस्म ढहरी–2 वाके ग्राम खानपुर मेवान के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रसीदन पत्नी सगरू हिस्सा 2/3 मेव सा0देह खातेदार साहिन पीएनबी खानपुर मेवान, रूकमणीपत्नी दौलतराम पूर्ण मुकेश, सुखदेव, सूरतसिंह पुत्रान कस्तूरी, गीता चंदरो, चमेली, लीला पुत्रिया मुलखराज हि0 1/3 राजपूत सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एव मौके पर उक्त ख0नं0 के पूर्ण रकबे पर सगरू पुत्र मोहर खां जाति मेव निवासी खानपुर मेवान कब्जा काश्त है। मौके पर ख0नं0 837 जुता हुआ पाया गया। तथा मौके पर कोई वाद विवाद या स्थगन नही है। प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल से साबित है कि हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा साबिक नम्बर 730 रकबा 16 बिस्वा, 731 रकबा 2 बिस्वा, 732 रकबा 4 बिस्वा, 733 रबा 4 बिस्वा, 734 रकबा 6 बिस्वा से पैमूद हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2013–2016 प्रदर्श–6 से स्पष्ट है कि साबिक नम्बर 732 रकबा 7 बिस्वा एवं 733 रकबा 6 बिस्वा, 734 रकबा 8 बिस्वा पर मुलखाराज पुत्र बालूराम जाति राजपूत सा. देह अलोटी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत् 2012–2015 में साबिक नम्बर 733 रकबा 6 बिस्वा, 732 रकबा 7 बिस्वा पर मुलखराज पुत्र बालाराम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–9 जमाबन्दी सवत 2012–2015 मे साबिक नम्बर 732 रकबा 7 बिस्वा व 733 रकबा 6 बिस्वा पर मुलखाराज दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी संवत् 2013–2016, 2017–2020 मे साबिक नम्बर 732 रकबा 7 बिस्वा, 733 रकबा 6 बिस्वा एवं 734 रकबा 8 बिस्वा पर मुलखराज पुत्र बालाराम दर्ज रिकॉर्ड है। पेश दस्तावेज, तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित है कि विवादित आराजी प्रतिबंधित श्रेणी एव अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है तथा विकेता आवटन के समय से तथा वादी क्रय किये हुए भाग पर खरीद दिनांक से आदिनांक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 हे0 के 1/3

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

Disaster M... e-Chall...

भाग पर वादी के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार प्रोद्भूत हो गए है। अतः प्रस्तुत वाद में भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने से वादी विवादित आराजी का राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के प्रावधानों एवं नवीनतम परिपत्रों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने हेतु स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः उक्त भूमि संबंधित वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 एवं नवीनतम परिपत्रों के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कराकर हकूक खातेदारी प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 हे0 किस्म ढहरी2 पर दर्ज मुलखराज के समस्त वारिसान के हिस्से को हजफ करते हुए 1/3 भाग का वादी सगरू पुत्र मोहर सिंह जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को खरीददार काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तूर कायम रहेगा। वादी राज्य सरकार के परिपत्र संशोधित क. एफ 1(15) राज– पुनर्वास 2009 दिनांक 30.03.2012 के बिंदु संख्या 3 व 5 के दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर से कीमत भूमि व ब्याज तथा नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कोष करावे। राशि की फलावट की जाकर वादी को अवगत कराया जावे। राशि जमा राजकोष होने पर सनद् खातेदारी जारी हो। वादी को आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जरिये चालान जमा होकर खातेदारी सनद् जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो, पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

दावा संख्या
145/2024

अध्याशित:– मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दायर दिनांक
14.06.2025

निर्णय दिनांक
29-7-25

उनवान

01 सगरू खां पुत्र मोहरसिंह जाति मेव निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा।

:– वादी

बनाम

01 राज सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा।

:– असल प्रतिवादी

दावा तकासमा आराजी बम्य हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188 राज.टी.ए 1955 राज्य सरकार राजस्व ग्रुप 10 के परिपत्र दिनांक 30.03.2012

उपस्थिति:–

1. वादी की ओर से श्री खुर्शेद अहमद वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब रिपोर्ट पटवारी।

पर्चा डिक्री

वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास के विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.4200 हे0 किस्म ढहरी2 पर दर्ज मुलखराज के समस्त वारिसान के हिस्से को हजफ करते हुए 1/3 भाग का वादी सगरू पुत्र मोहर सिंह जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को खरीददार काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तूर कायम रहेगा। वादी राज्य सरकार के परिपत्र संशोधित क. एफ 1(15) राज– पुनर्वास 2009 दिनांक 30.03.2012 के बिंदु संख्या 3 व 5 के दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर से कीमत भूमि व ब्याज तथा नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कोष करावे। राशि की फलावटं की जाकर वादी को अवगत कराया जावे। राशि जमा राजकोष होने पर सनद् खातेदारी जारी हो। वादी को आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ति जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जरिये चालान जमा होकर खातेदारी सनद् जारी हो। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner